कार्यपालन सारांश

कार्यपालन सारांश

राज्य की राजकोषीय स्थिति

मुद्रास्फीति को गणना में लेने के बाद भी 2012–13 से 2016–17 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय में वृद्धि हुई, जबकि 2013–14 के दौरान राजस्व प्राप्तियों एवं पूंजीगत व्यय में कमी आई किन्तु उसके बाद वृद्धि हुई।

(कंडिका 1.1.1)

राज्य सरकार ने बजट अनुमान 2016–17, चौदहवें वित्त आयोग एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को प्राप्त किया। तथापि राज्य बजट अनुमान 2016–17 में निर्धारित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष बकाया ऋण के अनुपात का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका। लेखापरीक्षा आकलन में आगे प्रकट हुआ कि वित्त लेखों में राजस्व अधिशेष को बढ़ाकर तथा राजकोषीय घाटे एवं बकाया देयताओं दोनों को कम कर बताया गया।

(कंडिका 1.1.2)

संसाधन संग्रहण

2015–16 की तुलना में राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 17,796 करोड़ (17 प्रतिशत) से बढ़ीं, लेकिन बजट अनुमानों से ₹ 2,788 करोड़ कम थीं।

2015–16 की तुलना में राजस्व व्यय ₹ 19,766 करोड़ (20 प्रतिशत) से बढ़ा, लेकिन बजट अनुमानों से ₹ 3,048 करोड़ से कम था।

2015–16 की तुलना में पूंजीगत व्यय ₹ 10,453 करोड़ (62 प्रतिशत) से बढ़ा, लेकिन बजट अनुमानों से ₹ 3,458 करोड़ से कम था।

अनुशंसा: *वित्त विभाग को बजट तैयारी कार्रवाई को औचित्यपूर्ण बनाना चाहिए ताकि बजट अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों के मध्य लगातार अंतर को कम किया जा सके।*

(कंडिकाएं 1.1.1 एवं 1.1.3)

महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश एवं अनुशंसाएं:

नवीन पेंशन योजना

यद्यपि 2006–07 से 2009–10 के दौरान मुख्य शीर्ष 8342 के अंतर्गत कर्मचारी अंशदान के रूप में ₹ 83.27 करोड़ जमा किए गए थे, वहीं सरकार ने संबंधित वर्षों में समरूप अंशदान नहीं किया। इसके अतिरिक्त 2010–11 से 2016–17 के दौरान कर्मचारियों के अंशदान ₹ 1,197.51 करोड़ के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा किया गया वास्तविक अंशदान ₹ 1,302.40 करोड़ था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2010–11 से अंगीकृत लेखांकन पद्धति के अंतर्गत यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि कर्मचारी अंशदान से अधिक सरकार का अंशदान विगत वर्षों की कमियों के विरुद्ध था।

मध्य प्रदेश शासन, सरकार एवं कर्मचारियों के अंशदान को निधि में अंतरित करने के लिए राजस्व प्राप्ति मुख्य शीर्ष 0071 का संचालन करता है। यह कार्यप्रणाली शंकास्पद एवं अशुद्ध है।

कुल अंशदान ₹ 2,499.91 करोड़ (2010–11 से 2016–17 की अवधि के लिए कर्मचारी एवं सरकार का अंशदान) के विरुद्ध ₹ 97.98 करोड़ निधि में कम अंतरित करते हुए एन.एस.डी.एल. को मात्र ₹ 2,401.93 करोड़ अंतरित किए गए थे। 2016–17 के दौरान भी सरकार ने कुल अंशदान ₹ 650.34 करोड़ में से एन.एस.डी.एल. को मात्र ₹ 628.48 करोड़ ही अंतरित किए। इसके परिणामस्वरूप 2016–17 के लिए ₹ 21.86 करोड़ से राजस्व अधिशेष बढ़ाकर एवं राजकोषीय घाटा कम कर बताया गया।

अनुशंसाः *राज्य सरकार को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से परामर्श कर (i) 2004–05 से 2016–17 की अवधि के लिए कर्मचारियों एवं सरकार के अंशदान की राशि का मिलान एवं वर्ष 2017–18 के वित्त लेखे में नवीन पेंशन योजना के लिये किये गये अंशदान का वास्तविक रूप प्रस्तुत करना चाहिए। (ii) प्राप्ति मुख्य शीर्ष 0071 के अधीन नवीन पेंशन योजना के लिए बजटिंग एवं कर्मचारियों के अंशदान के पुस्तांकन की विद्यमान पद्धति की समीक्षा करनी चाहिए।*

(कंडिका 1.3.4.1)

सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

2016–17 में मध्य प्रदेश के सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता दर्शाने वाला अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से उच्च था तथा स्वास्थ्य क्षेत्र को छोड़कर 2012–13 में राज्य के स्वयं के निष्पादन से भी अधिक था।

(कंडिका 1.3.5.1)

अपूर्ण परियोजनाएं

अपूर्ण कार्यों पर अवरुद्ध निधियों से व्यय की गुणवत्ता में नकारात्मक रूप से कमी आती है। जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में ₹ 9,557.16 करोड़ मूल्य की 242 अपूर्ण परियोजनाएं थीं, जिनमें 24 परियोजनाओं (जहाँ पर लागत पुनरीक्षित कर दी गई हैं) में ₹ 4,800.14 करोड़ की लागत बढ़ गई थी।

अनुशंसाः *जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण परियोजनाओं की पूर्णता समय से सुनिश्चित करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित कर सकते हैं।*

(कंडिका 1.4.2)

निवेश एवं प्रतिलाभ तथा अग्रिम कर्ज

2012–17 के दौरान सरकार की उधार लागत एवं कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश पर प्रतिलाभ के मध्य अंतर के कारण राज्य सरकार को ₹ 4,857 करोड़ की हानि हुई। केवल 2016–17 में ₹ 1,224 करोड़ की हानि हुई। अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश पर प्रतिलाभ का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

राज्य सरकार को विगत पाँच वर्षों में सरकार की उधार लागत एवं ऋण अग्रिमों के मध्य अंतर के कारण ₹ 1,712 करोड़ की हानि हुई। केवल 2016–17 में ₹ 310 करोड़ की हानि हुई।

अनुशंसाः *राज्य सरकार को विभिन्न इकाईयों में अपने निवेशों एवं अग्रिम कर्जों को इस प्रकार युक्तिसंगत बनाना चाहिए ताकि निवेश एवं ऋण पर प्रतिलाभ कम से कम सरकार की उधारी लागत से साम्य रखे।*

(कंडिकाएं 1.4.3 एवं 1.4.4)

आरक्षित निधियों के अंतर्गत लेन–देन

अवधि 2014–17 के दौरान ₹ 40.36 लाख शेष की दो आरक्षित निधियाँ संचालित नहीं की गईं थीं। तीन अन्य आरक्षित निधियों में 31 मार्च 2017 की स्थिति में राशि ₹ 7.69 करोड़ का निवेश था, किन्तु इनमें से किसी भी निधि में, यदि पहले नहीं किया गया हो, तो विगत तीन वर्षों में कोई भी निवेश नहीं किया गया था।

समेकित निधि के अंतर्गत उपयुक्त राजस्व व्यय शीर्ष के अंतर्गत आरक्षित निधियों में अंतरण एवं तत्पश्चात उनमें से संवितरण नामे या जमा प्रविष्टि के माध्यम से किया जाता है। ये केवल वास्तविक रोकड़ अंतरण को प्रदर्शित करते हैं यदि यह रिजर्व बैंक जमा को प्रत्यक्ष तौर पर या निवेश के माध्यम से प्रभावित करते हों। यद्यपि मध्य प्रदेश शासन की आरक्षित निधियों में कोई वास्तविक रोकड़ लेन–देन नहीं था, अतः लेखों में प्रदर्शित शेष मात्र पुस्तक प्रविष्टियाँ थे। यह आरक्षित निधियों के निर्माण एवं संचालन के आधारभूत सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को आरक्षित निधियों के अंतर्गत लेन–देनों एवं शेषों को मात्र पुस्तक प्रविष्टियाँ मानने की प्रक्रिया की समीक्षा करनी चाहिए तथा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ शेषों के वास्तविक निवेश द्वारा आरक्षित निधियों के निर्माण एवं संचालन के आधारभूत सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।*

(कंडिका 1.5.2)

निक्षेप निधि

बारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि राज्यों को ऋणों के परिशोधन के लिए एक निक्षेप निधि स्थापित करनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों को विगत वर्ष के अंत में अपनी बकाया देयताओं का कम से कम 0.50 प्रतिशत का अंशदान समेकित निक्षेप निधि में देना आवश्यक है तथापि अन्य राज्यों के विपरीत मध्य प्रदेश शासन ने ऋणों के परिशोधन के लिए समेकित निक्षेप निधि का गठन नहीं किया। निक्षेप निधि का गठन न होने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने ₹ 635.72 करोड़ का अंशदान नहीं किया (31 मार्च 2016 की स्थिति में बकाया देयताएं ₹ 1,27,144.43 करोड़ का 0.50 प्रतिशत)। इसके कारण 2016–17 में ₹ 635.72 करोड़ से राजस्व अधिशेष अधिक एवं राजकोषीय घाटा कम बताया गया।

अनुशंसाः *राज्य सरकार बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा स्वीकार कर समेकित निक्षेप निधि का गठन करे।*

(कंडिका 1.5.2.1)

राज्य आपदा मोचन निधि

भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से पूर्ववर्ती आपदा राहत निधि को राज्य आपदा मोचन निधि से प्रतिस्थापित कर दिया था। मार्च 2017 में राज्य आपदा मोचन निधि के पास अंतिम शेष ₹ 668 करोड़ था। राज्य आपदा मोचन निधि दिशानिर्देश 2010 की कंडिका 19 एवं 20 के अनुसार, निधियों के अंतर्गत शेषों का निवेश किया जाना चाहिए और सरकार को अनिवेशित शेषों पर अधिविकर्ष पर देय ब्याज की दर से ब्याज देना चाहिए। तथापि, निधि के निर्माण के समय से निधियों का निवेश नहीं किया गया था, मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि को किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया था। लागू ब्याज दरों के अनुसार गणना करने पर अदत्त ब्याज ₹ 118.04 करोड़ रहा एवं इस प्रकार मार्च 2017 के अंत में उस सीमा तक देयता निर्मित की। 2016–17 के लिए अदत्त ब्याज ₹ 56.78 करोड़ था, जिस सीमा तक राजस्व अधिशेष बढ़ाकर तथा राजकोषीय घाटा कम करके बताया गया। निधि के संचालन के समय से निधि में शेष एवं अदत्त ब्याज राज्य की अगणित देयताओं को प्रदर्शित करते हैं।

अनुशंसाः *राज्य को राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत पड़े हुए शेष को दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश करना चाहिए।*

(कंडिका 1.5.2.2)

प्रत्याभूति शुल्क

चौदह संस्थानों से ₹ 206.68 करोड़ प्रत्याभूति शुल्क प्राप्त किया जाना था। तथापि दो संस्थानों ने प्रत्याभूति शुल्क का आवश्यकता से अधिक भुगतान किया। इसी प्रकार, यद्यपि मध्य प्रदेश विद्युत पारेषण कम्पनी, जबलपुर से कोई प्रत्याभूति शुल्क प्राप्त नहीं किया जाना था, किन्तु कम्पनी ने 2016–17 के दौरान प्रत्याभूति शुल्क ₹ 4.44 करोड़ का भुगतान किया। शेष 12 संस्थानों, जिन पर प्रत्याभूति ₹ 20,596.79 करोड़ बकाया थी, ने निर्धारित प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान नहीं किया।

अनुशंसाः *वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि (i) प्रत्याभूतियों का लाभ लेने वाले सभी संस्थान पूर्व प्रत्याभूति शुल्क का पूर्ण भुगतान करें एवं उस समय तक ऐसे संस्थानों को आगे कोई प्रत्याभूति न दी जाए तथा (ii) मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन कम्पनी, मध्य प्रदेश विद्युत पारेषण कम्पनी एवं मध्य प्रदेश पुलिस आवास निगम के प्रत्याभूति शुल्क विवरणों की समीक्षा एवं मिलान करें, जिन्होंने वित्त लेखों के अनुसार आवश्यकता से अधिक प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान किया है।*

(कंडिका 1.5.2.3)

प्रत्याभूति विमोचन निधि

राज्य वित्त सचिवों की समिति के प्रतिवेदन पर आधारित भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य शासन को निधि के सृजन के समय बकाया प्रत्याभूतियों का कम से कम एक प्रतिशत का अंशदान करना अपेक्षित है और तत्पश्चात आगामी पाँच वर्षों में तीन प्रतिशत का न्यूनतम स्तर प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम 0.50 प्रतिशत का अंशदान करे। उपर्युक्त सूत्र के अनुसार, राज्य शासन को प्रत्याभूति विमोचन निधि को ₹ 688.26 करोड़ का अंशदान करना आवश्यक था। इसके स्थान पर राज्य शासन ने ₹ 14.21 करोड़ का अंशदान किया। इस कमी के परिणामस्वरूप, ₹ 674.05 करोड़ से राजस्व अधिशेष अधिक एवं राजकोषीय घाटा कम बताया गया। तदनुसार, 31 मार्च 2017 की स्थिति में मध्य प्रदेश शासन ने प्रत्याभूति विमोचन निधि को ₹ 408.79 करोड़ का अंशदान दिया था, जो कि केन्द्र सरकार दिनांकित प्रतिभूतियों में निवेश किया गया था। इसमें से ₹ 14.21 करोड़ 2016–17 में जमा/निवेश किए गए।

अनुशंसाः *राज्य सरकार को प्रत्याभूति विमोचन निधि योजना का पुनरीक्षण करने पर विचार करना चाहिए एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निधि में अंशदान करना चाहिए।*

(कंडिका 1.5.2.3)

बचतें

नियंत्रक कार्यालयों द्वारा विभागीय व्यय के अनुवीक्षण में वित्त विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप 2016–17 के दौरान राशि ₹ 40,425.63 करोड़ की बचतें अप्रयुक्त रहीं।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को विभागीय नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय की प्रवृत्तियों का अनुवीक्षण करना चाहिए ताकि निधियों का अनावश्यक रूप से अवरोधन न हो तथा समर्पण हेतु अंतिम क्षण की प्रतीक्षा किए बिना एवं आवंटनों के व्यपगत हुए बिना तुरंत समर्पण किया जाए।*

(कंडिका 2.1)

आधिक्य व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है

राज्य सरकार 2003–15 की अवधि से सम्बंधित 32 अनुदानों एवं 19 विनियोगों के आधिक्य व्यय राशि ₹ 758.14 करोड़ का नियमन कराये जाने में विफल रही।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विगत 12 वर्षों के आधिक्य व्यय राज्य विधानसभा द्वारा शीघ्रतिशीघ्र नियमित किए जायें एवं बजट से अधिक व्यय करने वाले नियंत्रण अधिकारियों के विरुद्ध कठोर विभागीय कार्यवाही की जाये।*

(कंडिका 2.2.1)

निधियों के समर्पण की दोषपूर्ण स्वीकृतियां

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ने राशि ₹ 3,989.45 करोड़ की निधियों के समर्पण के लिए 46 दोषपूर्ण स्वीकृतियों को स्वीकार करने से मना कर दिया।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को अत्यधिक, अनावश्यक अनुपूरक प्रावधानों एवं अनौचित्यपूर्ण समर्पणों से बचना एवं नियंत्रण अधिकारियों द्वारा समर्पण के स्वीकृति आदेश दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित समयोचित, पूर्ण एवं वैध होना सुनिश्चित करना चाहिए।*

(कंडिका 2.2.9.1)

आकस्मिकता निधि से ₹ 3.49 करोड़ का अनुपयुक्त व्यय

राज्य सरकार ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मार्च 2017 के दौरान आकस्मिकता निधि से ₹ 3.49 करोड़ व्यय किए जो कि आकस्मिक एवं अनवेक्षित व्यय नहीं था, जैसा कि आकस्मिकता निधि से आहरण की आवश्यकताओं के अंतर्गत निर्धारित है।

अनुशंसाः *राज्य सरकार को संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारण अनुसार सुनिश्चित करना चाहिए कि आकस्मिकता निधि से अग्रिम का आहरण केवल आकस्मिक एवं अनवेक्षित प्रकृति के व्यय के लिए किया जाये।*

(कंडिका 2.2.11)

व्यय की अत्यधिकता

मार्च 2017 के दौरान 18 अनुदानों/विनियोगों के 34 प्रकरणों में राशि ₹ 14,169.78 करोड़ का 100 प्रतिशत व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश शासन ने विभिन्न योजनाओं के लिए छह अनुदानों के संबंध में वित्तीय वर्ष के अंतिम चार दिवसों में ₹ 2,148.01 करोड़ के स्वीकृति आदेश जारी किये।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष के अंतिम भाग के दौरान व्यय की अत्यधिकता को नियंत्रित करना चाहिए।*

(कंडिका 2.2.12)

व्यक्तिगत जमा खाते

राज्य के व्यक्तिगत जमा खातों में 31 मार्च 2017 को ₹ 5,350.37 करोड़ का अंतिम शेष था। इसके अतिरिक्त, 53 कोषालयों में 341 व्यक्तिगत जमा खाते ₹ 650 करोड़ शेष के साथ तीन से अधिक वर्षों से असंचालित रहे।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को सभी व्यक्तिगत जमा खातों की समीक्षा करनी चाहिए एवं यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन व्यक्तिगत जमा खातों में अनावश्यक पड़ी सभी राशियों को समेकित निधि में तत्काल प्रेषित किया जाता है तथा वित्तीय नियमों का पालन करने में विफल रहे विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाती है।*

(कंडिकाएं 3.1 एवं 3.1.1)

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर

मार्च 2017 को मण्डल के पास राशि ₹ 1,218.47 करोड़ बैंक खातों में उपलब्ध थी। तथापि बैंक खातों से प्राप्त ब्याज रोकड़ बही में नहीं दर्शाया जा रहा था।

2012–13 से लेखे तैयार नहीं किए जाने के अतिरिक्त मण्डल ने लेखापरीक्षा के समक्ष उपलब्ध शेषों के तीन विभिन्न आंकड़े प्रस्तुत किए। अतः लेखापरीक्षा में प्राप्तियों एवं व्यय की प्रामाणिकता अभिनिश्चित नहीं की जा सकी।

मण्डल के पास स्थायी परिसम्पत्ति पंजी अनुपलब्ध होने के कारण निर्मित परिसम्पत्तियों के भौतिक अस्तित्व एवं उनकी स्थिति को सत्यापित नहीं किया जा सका।

अनुशंसाः *राज्य शासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल लेखों को अंतिम रूप दे तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों की कार्य स्थितियां सुधारने संबंधी अपने अधिदेश की पूर्ति करे तथा अधिनियम में निर्धारण अनुसार उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए।*

(कंडिका 3.2.1)

लेखों में अपारदर्शिता

मध्य प्रदेश शासन के विभाग लघु शीर्ष 800 का नियमित परिचालन करते हैं जिसे केवल यदा–कदा मामलों में ही परिचालित किया जाना है। 2016–17 के दौरान प्राप्तियों के अंतर्गत ₹ 33,003.16 करोड़ एवं व्यय के अंतर्गत ₹ 20,906.92 करोड़ लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप लेन–देनों में अपारदर्शिता रही।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के परामर्श से लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्रदर्शित सभी मदों की समग्र समीक्षा करनी चाहिए एवं सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी सभी प्राप्तियाँ एवं व्यय उपयुक्त लेखा शीर्ष में पुस्तांकित किए जाते हैं।*

(कंडिका 3.3)

उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की अप्रस्तुति एवं असत्य उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की प्रस्तुति

मध्य प्रदेश शासन के विभाग सहायतानुदान ₹ 18,080.10 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने में विफल रहे हैं।

आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल ने 2013–14 एवं 2014–15 के दौरान तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत ₹ 74.05 करोड़ प्राप्त किये। यद्यपि सम्पूर्ण राशि अव्ययित थी एवं लोक लेखों में जमा थी, तथापि आयुक्त ने सम्पूर्ण राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किए।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए जिसके अंदर अनुदान जारी करने वाले प्रशासकीय विभाग, अनुदान आदेश में निर्धारित समय से अधिक अवधि से लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र एकत्रित करें एवं यह भी सुनिश्चित करें कि उस समय तक प्रशासकीय विभाग चूककर्त्ता अनुदानग्राहियों को आगे और अनुदान जारी न करें। असत्य उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों एवं कार्यान्वयन एजेन्सी के उत्तरदायित्व निर्धारण एवं उन पर उचित विभागीय व अन्य कार्यवाही करने पर विचार किया जाये।*

(कंडिकाएं 3.5 एवं 3.6)

बजट अनुदानों को व्यपगत होने से रोकने के लिए निधियों को बैंक खातों में रखना

पाँच विभागों ने वित्त विभाग से आवश्यक अनुमति प्राप्त किये बिना समेकित निधि से ₹ 20.34 करोड़ आहरित कर 19 बैंक खातों में जमा किये थे।

आयुक्त, निदेशालय, स्वराज संस्थान, भोपाल, ने 2011–12 से 2016–17 के दौरान कोषालय से ₹ 8.59 करोड़ आहरित किए थे तथा मध्य प्रदेश कोषालय संहिता में निर्धारित नियमों का उल्लंघन कर इस राशि को बैंक खाते में जमा कर दिया।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को एक प्रक्रिया विकसित कर सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके अधीन शासकीय विभाग एवं इकाईयाँ बजट अनुदानों को व्यपगत होने से रोकने के लिए कोषालय से धन का आहरण नहीं करती हैं। वित्त विभाग को राज्य शासन के विभागों द्वारा संचालित सभी बैंक खातों की समीक्षा भी करनी चाहिए एवं वित्त विभाग द्वारा प्राधिकृत नहीं किए गए सभी खातों को बंद करना चाहिए। शासन से अनुमति प्राप्त किए बिना बैंक खातों में धन जमा करने वाले अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारण करने एवं उन पर उचित विभागीय व अन्य कार्यवाही करने पर विचार किया जाये।*

(कंडिकाएं 3.12 एवं 3.12.1)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के लेखों को अंतिम रूप दिया जाना

सार्वजनिक क्षेत्र के 29 कार्यशील उपक्रमों/निगमों (54 लेखे) एवं सार्वजनिक क्षेत्र के सात अकार्यशील उपक्रमों/निगमों (94 लेखे) के लेखे एक से 27 वर्षों तक बकाया हैं। इसके बावजूद वित्त विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के 18 उपक्रमों को बकाया लेखों की अवधि के दौरान ₹ 8,912.99 करोड़ की बजटीय सहायता प्रदान की।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को बकाया लेखे वाले सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रकरणों की समीक्षा करनी चाहिए, लेखे यथोचित अवधि में अद्यतन कर लिया जाना सुनिश्चित करना चाहिए एवं जहाँ लेखे लगातार बकाया हैं वहाँ सभी प्रकरणों में वित्तीय सहायता रोक देनी चाहिए।*

(कंडिका 3.14)

लाभांश घोषित न किया जाना

राज्य सरकार की नीति (जुलाई 2005) के अनुसार सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कर के पश्चात् लाभ का कम से कम 20 प्रतिशत लाभांश के रूप में भुगतान करना आवश्यक है। उनके अंतिम रूप से लेखों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के 29 उपक्रमों ने कुल लाभ ₹ 397.73 करोड़ अर्जित किया, यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र के केवल चार उपक्रमों ने ₹ 43.38 करोड़ का लाभांश प्रस्तावित किया तथा सार्वजनिक क्षेत्र के 25 उपक्रमों ने लाभ अर्जित करने के बावजूद ₹ 37.49 करोड़ का लाभांश घोषित नहीं किया।

अनुशंसाः *राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम सरकार को निर्धारित लाभांश का भुगतान करें।*

(कंडिका 3.15)